



संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014

ई-नीलामी सूचना

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (जिसे आगे 'संस्थान' कहा गया है) परिसर स्थित सामुदायिक केन्द्र की निम्नलिखित क्षेत्रफल की दुकानों/स्थानों हेतु चिन्हित वरीयता वाले व्यवसाय (प्रतिबन्धित व्यवसाय, यथा सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान-मसाला शराब का ठेका, मॉस-मछली काटने का कार्य एवं अन्य मादक पदार्थ इत्यादि का कय विक्रय आदि को छोड़कर) मासिक लाईसेन्स शुल्क/किराया के आधार पर दुकान/स्थान आवंटित किये जाने हेतु व्यक्ति/फर्म अथवा कम्पनी/सोसायटी नीलामी का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। निविदादाता व्यवसाय चुनने से पूर्व सामुदायिक केन्द्र स्थित अन्य दुकानों तथा चुने गये व्यवसाय की व्यापकता के सम्बन्ध में निरीक्षण करने के पश्चात् ही नीलामी में लाईसेन्स शुल्क की दर की बोली लगायी जाये। चिन्हित वरीयता वाले व्यवसाय में से किसी व्यवसाय हेतु निविदा न प्राप्त होने की दशा में ही अन्य व्यवसाय हेतु निविदाओं पर विचार किया जायेगा। संस्थान की आवश्यकतानुसार उक्त व्यवसायों में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

दुकानों/स्थान का क्षेत्रफलवार विवरण तथा न्यूनतम किराया निम्नवत् वर्णित किया जा रहा है:-

रिक्त दुकान सं०	दुकान/स्थान का क्षेत्रफल वर्गफिट में	निर्धारित न्यूनतम किराया (प्रतिमाह)	व्यवसाय का नाम जिसके लिए दुकान आरक्षित	निविदा प्रपत्र शुल्क - रु० 1500.00+18% जीएसटी रु०270.00 कुल धनराशि 1770.00 व धरोहर धनराशि - रु० 10500.00 अलग-अलग ऑनलाईन, डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से खाता संख्या 10095237355 निदेशक एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०, लखनऊ के भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस० लखनऊ- 226014 में जमा की जायेगी। बैंक IFSC Code SBIN0007789 MICR Code 226002034
1	2	3	4	
02	225.86	1400.00	मिल्क बार/आईसक्रीम पार्लर/ फ्रूट एवं वेजीटेबिल जूस (प्रतिबन्धित व्यवसाय-फल/सब्जी)	
04	225.86	18602.00	जनरल मर्चेन्ट/ग्रासरी (प्रतिबन्धित व्यवसाय-फल/सब्जी व अन्य आवंटित दुकानों में निर्धारित व्यवसाय)	
05	59.95	4960.00	मोबाईल बिक्री/रिचार्ज व रिपेयरिंग	
06	182.72	1142.00	प्लास्टिक वेयर एंड किचन आईटमस	
09	59.95	375.00	चाय/कॉफी	
10	182.72	1142.00	साउथ इंडियन फास्टफूड कार्नर (प्रतिबन्धित-अन्य आवंटित दुकानों में निर्धारित व्यवसाय)	
13	59.95	4599.00	लेडिज/मेन्स अंडर गारमेंट/रेडीमेड गारमेंट/स्कूल ड्रेस	
14	225.67	1400.00	बेकरी	
15	182.72	5468.00	इलेक्ट्रिक उपकरण व एसी रिपेयरिंग	
16	225.86	5476.00	मेन्स सैलून	
17	167.92	9850.00	ड्राइक्लीनिंग/लॉन्डी/प्रेस	
18	167.92	1050.00	होमडेकोर/गिफ्ट/स्पोर्ट्स से संबंधित सामान	
19	170.07	1063.00	साईकिल, स्कूटी, बाईक व कार रिपेयरिंग	
20	527.43	3297.00	रेस्टोरेंट	

नोट: नगर निगम की निर्धारित दर रु० 6.25 प्रति वर्ग फिट की दर से अलग-अलग क्षेत्रफल की दुकान का न्यूनतम किराया निर्धारित किया गया है। निर्धारित किराये से आगे की नीलामी करते हुए अधिकतम धनराशि की बोली पर नियमानुसार जीएसटी निर्धारित करते हुये दुकान आवंटित करते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

1. दुकानों हेतु पंजीकरण फार्म संस्थान की वेबसाइट <http://www.sgpgims.org.in> से प्रिंट लेकर फार्म भरने व भरे हुए फार्म पूर्ण औपचारिकता करते हुये केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निदेशक, एसजीपीजीआई, कार्यालय आरएसडी सेल प्रशासनिक भवन भूतल स्थित कक्ष संख्या 101 में दिनांक **25.07.2025** से दिनांक **14.08.2025** सायं 4:00 तक स्वीकार किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप/कूरियर के माध्यम से कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। बन्द लिफाफे के ऊपर "सामुदायिक केन्द्र में दुकान सं० हेतु निविदा" अंकित होना चाहिये।
2. दुकानों की नीलामी की तिथि दिनांक **22.08.2025 (शुक्रवार)** को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी। निविदादाता समय का विशेष ध्यान अवश्य रखे। विलम्ब से आने पर निविदादाता नीलामी में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा।
3. दुकानों की नीलामी का स्थल प्रशासनिक भवन के तृतीय तल स्थित समिति कक्ष।
4. सक्षम प्राधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार किये जाने का अधिकार निहित होगा तथा अन्तिम बोली समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।

निदेशक





Phone No. (0522) 2494027
Email. estate@sgpgi.ac.in
Website www.sgpgi.org.in

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014

ई-निविदा/नीलामी हेतु नियम तथा शर्तें

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (जिसे एतदपश्चात् संस्थान कहा गया है) के परिसर में स्थित सामुदायिक केन्द्र में विभिन्न क्षेत्रफल की दुकानों में व्यवसाय के लिये ई-निविदा/नीलामी प्रस्तुत करने हेतु सामान्य जानकारी एवं शर्तें।

1. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा (संलग्नक - भाग-"क") में अपने परिचय-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक तथा अन्य अपेक्षित अभिलेखों की स्व-सत्यापित छाया प्रतियां एवं घोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता द्वारा समस्त अभिलेखों, जो तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किये गये हैं, उनकी एक अनुकृति बनाई जायेगी, जिसमें क0सं0, पेज का सार, पेज क्रमांक का विवरण उल्लिखित हो, हस्ताक्षरित कर संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता द्वारा अपलोड किये गये निविदा प्रपत्रों के समस्त पृष्ठों को हस्ताक्षरित किया जायेगा ऐसा न होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
4. निविदादाता को प्रत्येक क्षेत्रफल की दुकान हेतु अलग-अलग ई-निविदा प्रेषित करना होगा।
5. निविदादाता को सलाह दी जाती है कि निविदा भरने से पूर्व सामुदायिक केन्द्र का भ्रमण व निरीक्षण कर लें।
6. निविदादाता व्यवसाय चुनने से पूर्व सामुदायिक केन्द्र स्थित अन्य दुकानों तथा चुने गये व्यवसाय की व्यापकता के सम्बन्ध में निरीक्षण करने के पश्चात् ही नीलामी में लाइसेन्स शुल्क की दर की बोली लगायी जाये।
7. निविदादाता प्रतिबन्धित व्यवसाय (सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान-मसाला एवं अन्य मादक पदार्थ इत्यादि का क्रय विक्रय शराब का ठेका, मॉस-मछली काटने का कार्य) को छोड़कर अन्य किसी व्यवसाय हेतु निविदा भर सकता है।
8. निविदादाता को तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संस्थान द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क व धरोहर धनराशि जमा की रसीद की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र शुल्क व धरोहर धनराशि नहीं जमा की जाएगी, उसकी निविदा को बिना अग्रतर विचार के निरस्त कर दिया जायेगा। जिन निविदादाताओं की निविदा असफल हो जायेगी उनकी धरोहर धनराशि निविदा निर्णीत होने के तीन माह के भीतर वापस कर दी जायेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि की वापसी हेतु कास चेक के साथ ही साथ निम्नलिखित विवरण देना अनिवार्य होगा।

(1) खाता संख्या -

(2) खाताधारक का नाम -

(3) बैंक एवं शाखा का नाम -

(4) IFSC Code -

(5) MICR Code -

9. आवंटित की जाने वाली दुकानों का क्षेत्रफल एवं उसका न्यूनतम किराया विज्ञापन सूचना में अंकित कर दिया गया है, उससे कम किराया स्वीकार नहीं किया जायेगा और अधिकतम लाइसेन्स फीस देने वाले निविदादाता के पक्ष में निविदा निर्णीत की जायेगी। निविदादाता को वित्तीय निविदा में उल्लिखित न्यूनतम राशि से अधिक की धनराशि की निविदा/बोली लगानी है। जिस निविदादाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी और यदि बाद में सफल निविदादाता द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है तो निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा संबंधित दुकान/स्थान की नीलामी नये सिरे से की जायेगी।

✓





संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,

RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014

Phone No. (0522) 2494027
Email. estate@sgpgi.ac.in
Website www.sgpgi.org.in

10. जिस निविदादाता की निविदा को स्वीकार कर लिया जायेगा उस निविदादाता को 15 दिन के भीतर अनुबन्ध को निष्पादित करने से पूर्व संस्थान द्वारा निर्धारित सुरक्षा धनराशि के रूप में रु0 25000/- (रु0 पच्चीस हजार मात्र) का एफ0डी0आर0, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो जो कि 72 माह के लिए वैध निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के नाम हो तथा तीन महीने का लाइसेन्स शुल्क/किराया अग्रिम के रूप में संस्थान में जमा करना होगा जिसका समायोजन लाइसेन्स की अवधि की समाप्ति के अंतिम तीन माहों में किया जायेगा।
11. व्यवसाय के लिए निर्धारित स्थल के अन्दर कोई स्थायी निर्माण, करना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा। अस्थायी निर्माण, जैसे कि स्टैंड इत्यादि बनाने का अधिकार सफल निविदादाता (जिसे एतदपश्चात् लाइसेन्सी कहा गया है) को सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात् होगा।
12. चिन्हित/वरीयता वाले व्यवसाय के आधार पर स्वीकृत निविदा की स्थिति में लाइसेन्सी निर्धारित स्थल पर चिन्हित/आवेदित व्यापार के अलावा अन्य कोई व्यापार नहीं करेगा, अन्यथा की दशा में लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा। अन्य प्रकरणों में लाइसेन्सी को प्रतिबंधित व्यवसाय के अतिरिक्त संस्थान द्वारा निर्धारित व्यवसाय करने की छूट होगी।
13. प्रत्येक माह का लाइसेन्स शुल्क/किराया सम्बन्धित माह की सात तारीख के अंदर जमा करना होगा। विलम्ब की स्थिति में बकाया धनराशि पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज देय होगा।
14. लाइसेन्स शुल्क/किराया प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जायेगा।
15. लाइसेन्स अनुबन्ध निष्पादित होने के पश्चात् ही दुकान का कब्जा लाइसेन्सी को दिया जायेगा।
16. दुकानों के अनुबन्ध/लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष के लिए होगी, जो प्रतिवर्ष संतोषजनक कार्य एवं व्यवहार के आधार पर प्रतिवर्ष नवीनीकृत की जायेगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुबन्ध की अवधि नवीनीकरण सहित कुल 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त 05 वर्ष की अवधि में किसी भी समय संस्थान अथवा लाइसेन्सी की ओर से अनुबन्ध तीन माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस के अभाव में अथवा नोटिस की अवधि अल्प होने पर आनुपातिक रूप में संस्थान कोष में धनराशि जमा की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में संस्थान द्वारा अग्रिम जमा लाइसेन्स शुल्क/किराया तथा धरोहर धनराशि से उसकी वसूली की जायेगी।
17. संस्थान द्वारा अधिकृत अधिकारी को किसी भी समय दुकान का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
18. बिजली, पानी, सीवर, टेलीफोन इत्यादि के कनेक्शन लाइसेन्सी को अपने नाम व खर्चे पर सम्बन्धित विभाग से आवेदन कर प्राप्त करना होगा। संस्थान द्वारा प्रदत्त बिजली पानी आदि का निर्धारित दर से अग्रिम जमा राशि एवं प्रत्येक माह का शुल्क लाइसेन्सी संस्थान को लाइसेन्स शुल्क के अतिरिक्त भुगतान करेगा एवं भुगतान रसीद संबंधित विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायेगा, अन्यथा की दशा में संबंधित विभाग द्वारा बिना नोटिस सेवायें काट/रोक दी जायेगी। प्रदत्त सेवाओं हेतु सक्षम अधिकारी के पद एवं विभाग नाम निम्नानुसार है, जो कि अग्रिम जमा राशि निर्धारण, प्रत्येक माह का शुल्क निर्धारण, सुविधा प्रदान करने एवं बन्द करने हेतु सक्षम होंगे -

समक्ष अधिकारी के पद नाम	विभाग का नाम	सेवाओं का प्रकार
अधिशायी अभियंता (विद्युत)	विद्युत अभियंत्रण विभाग	विद्युत आपूर्ति
अधिशायी अभियंता (सिविल)	सिविल अभियंत्रण विभाग	पानी आपूर्ति एवं सीवर हेतु
अधिशायी अभियंता (दूरभाष)	टेलीफोन एक्सचेंज	टेलीफोन हेतु

उक्त वांछित सेवायें अग्रिम राशि जमा करने के उपरान्त ही दी जायेंगी।

19. सभी बरामदे, कारीडोर, जीने इत्यादि को ग्राहकों के प्रयोग हेतु पूरी तौर से खुला रखना होगा तथा उन पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बिना किसी नोटिस के हटाने का पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक का होगा





संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014

- और उसके हटाने का खर्चा निदेशक या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा लाइसेन्सी से वसूल किया जायेगा, तथा यथावश्यक लाइसेन्स/अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।
20. व्यापार स्थल अथवा अन्य किसी भाग/लाइसेन्स/दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
 21. व्यापार स्थल के बाह्य भाग का रख-रखाव एवं सफाई स्वयं लाइसेन्सी को करनी होगी।
 22. यदि व्यापार स्थल का रख-रखाव एवं सफाई सही ढंग से नहीं हो रही है, तो संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं उसका रख-रखाव (सफाई) करे तथा रख-रखाव (सफाई) में होने वाले व्यय को लाइसेन्सी से वसूल करें। यदि उक्त भुगतान संस्थान में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नहीं जमा किया जाता है तो इसकी वसूली जमा सुरक्षा धनराशि तथा अग्रिम जमा किराये से की जाएगी तथा यथावश्यक भू-राजस्व के बकाये के माध्यम से की जायेगी।
 23. लाइसेन्सी एवं उसके कर्मियों को सरकार/नगर पालिका तथा संस्थान के स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
 24. अगर लाइसेन्सी इन शर्तों के विपरीत कोई कार्य करता है अथवा कोई गैर कानूनी कार्य करता है या स्थल पर गैर कानूनी कार्यों को करने देता है तो संस्थान के निदेशक उनका लाइसेन्स निरस्त कर देंगे तथा 03 तीन माह की जमा अग्रिम लाइसेन्स फीस जब्त कर ली जायेगी।
 25. यदि लाइसेन्सी आवंटन-पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन में व्यापार शुरू नहीं करता है तो लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा तथा यदि दुकान 01 महीने तक कभी भी बन्द पायी गयी तो लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा एवं दोनों स्थितियों में **सुरक्षा धनराशि तथा तीन माह की जमा अग्रिम लाइसेन्स शुल्क** जब्त कर ली जायेगी।
 26. लाइसेन्सी एवं उसके अधीनस्थ कर्मियों को संस्थान के नियम एवं शर्तें मान्य होगी तथा संस्थान में प्रवेश के लिये "पास" बनवाना अनिवार्य होगा।
 27. लाइसेन्सी अपने दुकान से वस्तुओं की बिक्री लखनऊ में बाजार भाव से अधिक मूल्य पर नहीं बेचेगा तथा अधिक मूल्य लेने पर उसका लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा। वस्तुओं की दर सूची सूचना पट्ट पर प्रकाशित करनी होगी।
 28. लाइसेन्सी को संस्थान द्वारा लाइसेन्स में दी गयी सभी शर्तों का पालन करना होगा किसी भी शर्त का पालन न करने पर संस्थान द्वारा सुनवाई का अवसर देकर लाइसेन्स निरस्त किया जा सकता है।
 29. अगर लाइसेन्सी लाइसेन्स अवधि पूरी होने के पूर्व ही अपना लाइसेन्स रद्द कराना चाहता है या दुकान छोड़ना चाहता है तो उसे प्रस्तर-16 के अनुसार तीन माह पूर्व संस्थान को नोटिस देनी होगी एवं साथ में अदेयता प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
 30. आवंटित दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का निर्माण करना संस्थान एवं लाइसेन्स नियमों के विरुद्ध होगा एवं ऐसा करने पर दुकान का लाइसेन्स बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।
 31. किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में प्रकरण संस्थान के निदेशक द्वारा नामित समिति की संस्तुति पर निदेशक द्वारा निर्णीत किया जाएगा तथा पक्षों के असन्तुष्ट होने पर निदेशक द्वारा नामित आर्बीट्रेटर द्वारा संगत अधिनियम में निहित प्रक्रिया के अनुसार विवाद का निस्तारण किया जाएगा एवं उसका निर्णय दोनों पक्ष मानने को बाध्य होंगे। आर्बीट्रेशन के दौरान फर्म/एजेन्सी/निविदाकार कोई वाद किसी भी मा0 न्यायालय में दायर

2





संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014

नहीं कर सकता है। इस प्रकरण में विधिक क्षेत्र, लखनऊ जनपद ही होगा तथा भारत संघ के कानून प्रभावी होंगे।

32. संस्थान के निदेशक को सभी या किसी निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।
33. निम्न कारणों से भी निविदा निरस्त की जा सकती है:-
 - (क) निविदा के साथ धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) तथा निविदा शुल्क संलग्न न किया गया हो।
 - (ख) निविदा सशर्त हो।
 - (ग) निविदा प्रपत्र में दिए गए शर्तों के अनुसार निविदा न प्रस्तुत की गयी हो।
 - (घ) कोई तथ्य छिपाया गया हो, जिसकी जानकारी संस्थान को किसी भी समय हो जाए।
34. सभी प्रकार के कर (जी0एस0टी0 कर सहित) के भुगतान/देयता की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
35. निविदादाता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/सोसाइटी को रू0 10/- नान-जुडिसियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई अपराधिक केस और न ही कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है एवं न ही किसी न्यायालय द्वारा उसे दण्डित किया गया है।
36. प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई किसी प्रकार की क्षति का वहन संस्थान द्वारा नहीं किया जायेगा।
37. किसी भी दुर्घटना के कारण होने वाली धन-जन की क्षति हेतु संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा, अपितु इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लाईसेन्सी का होगा।
38. लाईसेन्सी द्वारा प्रतिबंधित व्यवसाय संचालित करने एवं दुकान पर संस्थान प्रशासन द्वारा गठित समिति द्वारा प्रतिबंधित सामग्री पकड़े जाने पर तम्बाकू नियंत्रण अध्यादेश एवं उ0प्र0 के संगत शासनादेशों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त मासिक लाईसेंस शुल्क/किराये के बराबर दण्ड राशि जमा करनी होगी। दण्ड राशि जमा न करने अथवा दो बार से अधिक शर्त का उल्लंघन करने पर लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
39. संस्थान को होने वाली किसी प्रकार की क्षति की वसूली लाईसेन्सी द्वारा संस्थान में जमा किये अग्रिम लाईसेन्स शुल्क/किराया तथा सुरक्षा धनराशि से की जायेगी। वसूली हेतु यह धनराशि अपर्याप्त होने की दशा में उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये के माध्यम से की जायेगी।
40. सक्षम प्राधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार किये जाने का अधिकार निहित होगा तथा अन्तिम बोली समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।





संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,

RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014

Phone No. (0522) 2494027

Email. estate@sgpgi.ac.in

Website www.sgpgi.org.in

संलग्नक भाग "क"

संस्थान के सामुदायिक केन्द्र स्थित दुकानों हेतु लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु तकनीकी निविदा

1	निविदादाता व्यक्ति/फर्म /कम्पनी सोसायटी का नाम	
2	व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा	
3	हैसियत (यदि कोई हो)	
4	पत्र व्यवहार का पता एवं मोबाइल नं०	मोबाइल नं०
5	स्थायी पता एवं मोबाइल नं०	मोबाइल नं०
6	शैक्षिक योग्यता की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करे	संलग्नक सं० पृ०सं०
7	व्यवसाय जिसके लिये लाइसेन्स आवेदित किया जा रहा है (विवरण निर्धारित क्षेत्रफल सहित)	दुकान सं० — क्षेत्रफल — व्यवसाय —
8	जीएसटी नं० (यदि हो) अन्यथा व्यवसाय प्रारम्भ करने के पश्चात् प्रस्तुत करें।	संलग्नक सं० पृ०सं०
9	आयकर पैन नं० (यदि कोई हो)	संलग्नक सं० पृ०सं०
10	निविदादाता/फर्म का परिचय-पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक आदि की सत्यापित छाया प्रतियाँ	संलग्नक सं० पृ०सं०
11	निविदा शुल्क रू० 1500.00 + 18 प्रतिशत लागू जीएसटी (कुल रू० 1770.00) का विवरण	संलग्नक सं० पृ०सं०
12	अर्नेस्ट मनी रू० 10500.00 का जमा का विवरण	संलग्नक सं० पृ०सं०
13	कास चेक (मूल रूप में)	संलग्नक सं० पृ०सं०
14	निविदादाता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/सोसायटी को रू० 10/- नान-जुडिसियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई अपराधिक केस और न ही कोई वाद विचाराधीन एवं न ही न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।	संलग्नक सं० पृ०सं०
15	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र (व्यक्तिगत रूप से भरे जाने वाले निविदाकारों के लिए)	संलग्नक सं० पृ०सं०

निविदादाता की
स्वहस्ताक्षरित
फोटोग्राफ



(नाम—

निविदादाता के हस्ताक्षर)

✓





संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014

घोषणा-पत्र

(रु0 10.00 के नान-जूडिसियल स्टैम्प पेपर पर)

मैं पुत्र/पति/पत्नी.....
निवासी..... जो कि
व्यक्ति फर्म अथवा कम्पनी/सोसायटी के हैं बिना किसी दबाव
के यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को भली-भाँति अध्ययन कर लिया गया
है एवं इनसे पूर्णतः सहमत हूँ। इस निविदा के साथ जो भी अभिलेख या प्रपत्र मेरे द्वारा संलग्न
किये गये हैं, वह मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि संलग्न अभिलेख/प्रपत्र में कोई भी
त्रुटि या असत्यता पायी जाये तो किसी भी समय मेरा/मेरी निविदा/लाइसेन्स अनुबन्ध निरस्त करते
हुए मेरी धरोहर धनराशि एवं 03 माह का अग्रिम लाइसेन्स शुल्क/किराया जब्त कर लिया जाए।

मैं..... बिना किसी जोर दबाव के उपरोक्त को स्वीकार करते हुए
हस्ताक्षर कर रहा/रही हूँ।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)
पूरा नाम एवं पता

✓

